

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,  
अनु सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 13 जून, 2016

विषय:- अलीगढ़-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 3.920 की दायीं पटरी पर ग्राम दौलताबाद के खसरा संख्या-13 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.04085 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/49/2016/26, दिनांक 02-6-2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कुल 11 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निस्तारण कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 02-6-2016 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को भेजते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा लगायी गयी 11 बिन्दुओं पर बिन्दुवार कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-प्रस्ताव 02 प्रतियां।

भवदीय,

  
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)  
अनु सचिव।